मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/लेखा/ है. /2015-16/1676 भोपाल, दिनांक 14 .12.2015

आदेश

(प्रारूप)

म.प्र.शासन के संकल्प 2010 के क्रमांक 37 द्वारा **''मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी योजना, 2008''** को समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में शामिल किया गया है। जिसके अनुसार उक्त योजना को संशोधित कर **''मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी योजना, 2008 (संशोधित 2014)''** लागू की गई है। म.प्र.शासन स्तर पर आयोजित बैठक दिनांक 18.03.2015 में लिए निर्णय अनुसार समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत शामिल की गई योजनाओं का क्रियान्वयन नवीन व्यवस्था होने तक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा पूर्व व्यवस्था अनुसार ही किया जाना है।

पूर्ववर्ती व्यवस्था अनुसार रूपये 5000/- प्रति हितग्राही के दावों की स्वीकृति कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा एवं रूपये 5001/- या उससे अधिक के दावों की स्वीकृति म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय द्वारा किए जाने के अधिकार प्रदत्त थे। उपरोक्त योजना के अंतर्गत सम्मिलित विभिन्न उप योजनाओं के हितग्राहियों के प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत नवीन व्यवस्था होने तक स्वीकृति एवं भुगतान के अधिकार सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति को प्रदत्त किए जाते हैं। कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा उपरोक्तानुसार माहवार की गई स्वीकृति एवं भुगतान की गई राशि का विवरण आंचलिक कार्यालय को भेजकर राशि प्रतिपूर्ति प्राप्त की जाएगी। आंचलिक कार्यालय द्वारा योजना की मासिक समीक्षा की जाएगी। उपरोक्तानुसार व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया जावे।

(अरूण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/लेखा/ 5 /2015-16/1677 भोपाल, दिनांक 14 .12.2015

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल
02. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग, भोपाल
03. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल
04. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल
05. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल
06. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग, भोपाल
07. मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन, 1250, तुलसी नगर, भोपाल
08. कलेक्टर, ...म.प्र. (समस्त)।
09. अपर संचालक (वित्त), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर पूर्व योजना में उल्लेखित प्रावधानानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
10. निज सचिव, प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल
11. अध्यक्ष/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति,.....................जिला...........(समस्त)

प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल